# अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

| पेशी | हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर<br>श्री विकास पाराशर  पुष्पेन्द्रसिंह नरूका 02 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए |
|---|---|---|
| 16.12.2025 | गणपतसिंह बनाम उम्मेदसिंह वगैरह (2025/225) | |

पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी, दूदू ने गल एवं मनमाने तौर पर प्रार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये प्रार्थी के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 22.04.2025 पारित कर दी। जिसकी आड में अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी उत्पन्न करने एवं प्रार्थी को भूमि से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित करने पर आमादा है जिसमें यदि वह सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकेगी। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 22.04.2025 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित करने का आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है तथा अधीनस्थ न्यायलाय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है, जिसका अंतिम निस्तारण नहीं किया गया है अतः प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जावें।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज कर बहस सुनते हुए अंतरिम स्थगन आगामी पेशी तक जारी किया गया एवं अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का कोई जवाब पेश नहीं किया गया है तथा सीधे ही अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है जिसका अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है।

अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

**अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्षकारन को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।**

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

## न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर

अपील टी0ए0 संख्या ......./2025 जिला जयपुर

गणपत सिंह पुत्र चतर सिंह, जाति राजपूत, निवासी मोरडीकलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर।

—— अपीलांट

बनाम्

1. उम्मेद सिंह पुत्र नन्द सिंह
2. नरपत सिंह पुत्र प्रेमसिंह
3. समुन्द्र सिंह पुत्र फौज सिंह
4. रिछपाल सिंह पुत्र फौज सिंह
5. रेखा कंवर पत्नि स्व0 बाबू सिंह
6. ज्योति कंवर पुत्री स्व0 बाबू सिंह
7. निशा कंवर पुत्री स्व0 बाबू सिंह
8. प्रिंस सिंह पुत्र स्व0 बाबू सिंह नाबालिग जरिये संरक्षिका माता रेखा कंवर पत्नि बाबू सिंह
9. रणजीत सिंह पुत्र नारायण सिंह
10. कुन्दन सिंह पुत्र नारायण सिंह
11. जवान सिंह पुत्र नारायण सिंह
12. रामसिंह पुत्र नारायण सिंह
13. सुरेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह

सभी जाति राजपूत, निवासी मोरडीकलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर।

14. विमलेश कंवर पुत्री नारायण सिंह पत्नि मनोहर सिंह जाति राजपूत निवासी पनेर तहसील रूपनगढ जिला अजमेर।
15. मुकेश कंवर पुत्री नारायण सिंह पत्नि महेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी सांचोर तहसील रूपनगढ जिला अजमेर।
16. बजरंग सिंह पुत्र पदम सिंह

Scanned with CamScanner

17. बच्चन सिंह पुत्र पदम सिंह
18. मोहन सिंह पुत्र पदम सिंह
19. अन्तर कंवर पुत्री पदम सिंह
20. रघुवीर सिंह पुत्र भंवर सिंह
21. लक्ष्मण सिंह पुत्र भंवर सिंह
22. धारा सिंह पुत्र जयसिंह
23. मूलसिंह पुत्र मदन सिंह
24. ज्ञानसिंह पुत्र मदन सिंह
25. मोहन सिंह पुत्र चतर सिंह
26. किशोर सिंह पुत्र गोपाल सिंह
27. प्रहलाद सिंह पुत्र गोपाल सिंह
28. भंवर सिंह पुत्र गोपाल सिंह
29. गुलाब सिंह पुत्र चतर सिंह

सभी जाति राजपूत, निवासी मोरडीकलां, तहसील दूदू, जिला जयपुर।

30. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जी दूदू जिला जयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, दूदू दिनांक 22.4.2025 जो कि प्रकरण संख्या 33ए/2025 में पारित किया गया।

-----

मान्यवर,

अपीलांट की ओर से निम्न निवेदन है:–

(अ) यह कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 19 द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, दूदू के समक्ष एक वाद प्रस्तुत किया। साथ में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन

Scanned with CamScanner